सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025/394 दर्ज तिथिः—10.06.2025

1. सुरतानसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। पाटी संख्या 01
2. श्रवणी कुमारी पत्नी सुजानाराम जाति विश्नोई निवासी सांवलासर तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पार्टी संख्या 02
3. शैतानाराम पुत्र हरीराम जाति विश्नोई निवासी पुर तहसील सांचौर जिला सांचौर पार्टी संख्या 03
4. सन्तोषदेवी पत्नी पहाड़सिंह जाति पुरोहित निवासी गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पार्टी संख्या 04
5. कमलाबेन पत्नी गिरधारीसिंह जाति पुरोहित निवासी गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पार्टी संख्या 05
6. किस्तुरसिंह पुत्र सोनसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। पार्टी संख्या 06

....................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी

.........................अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—12.06.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—49 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.17 12:00:22 IST
Reason: SelfAttested

- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1654/8/1.1088 है0, 1654/3/1.7806 है0 मौजा राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 01 की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1654/10/0.4856 है0 मौजा राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 02 की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1654/7/0.2428 है0, 1654/13/0.0809 है0 मौजा राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 03 की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1654/11/0.1619 है0 मौजा राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 04 की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1654/12/0.1619 है0 मौजा राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 05 की खातेदारी आराजी है।
- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1654/2.4281 है0, 1654/6/1.5621 है0 मौजा राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 06 की खातेदारी आराजी है।
- कि पार्टी संख्या 01 ता 06 की उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 1654 से विभक्त होकर बनी है।
- कि राजस्व रिकॉर्ड में विभक्त खसरा संख्या 1654/10, 1654/7, 1654/13, 1654/11 एवं 1654/12 का रकबा सही दर्ज किया गया है।
- कि खसरा संख्या 1654/8 जो कट्टाण मार्ग से पूर्व दिशा में है, का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में 1.1088 है0 अंकित किया गया है। परंतु मौके पर 1.5690 है0 है।
- कि इसी प्रकार खसरा संख्या 1654/3 कट्टाण मार्ग से पश्चिम दिशा में स्थित है, का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में 1.7806 है0 अंकित किया गया है, परंतु मौके पर रकबा 1.3204 है0 है।
- कि इसी क्रम में पार्टी संख्या 06 के खसरा संख्या 1654/6 जो कट्टाण मार्ग से पूर्व दिशा में स्थित है, का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में 1.5621 है0 अंकित किया गया है। परंतु मौके पर 2.0362 है0 अवस्थित है। इसी प्रकार पार्टी संख्या 06 के खसरा संख्या 1654 जो कट्टाण मार्ग से पश्चिम दिशा में स्थित है, का रकबा 2.4281 है0 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया है, परंतु मौके पर 1.9540 है0 है। इसी अनुसार प्रार्थी संख्या 01 ता 06 मौके पर काबिज काश्त हैं तथा मौके पर गै0मु0 रास्ता चालू है।
- कि प्रार्थीगण के आवेदन से वास्ते चकबंदी के लिये विनियमन करने पर पार्टी संख्या 02 ता 05 का रकबा अप्रभावित रहना अपेक्षित है। साथ ही पार्टी संख्या 01 के खसरा संख्या 1654/8 का रकबा 1.1088 है0 के स्थान पर 1.5690 है0 व खसरा संख्या 1654/3 का रकबा 1.7806 है0 के स्थान पर 1.3204 है0 किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.17 12:00:22 IST
Reason: SelfAttested

1654 / 3 का रकबा रिकॉर्ड में जितना कम होना अपेक्षित है। समानुपातिक रकबा खसरा संख्या 1654 / 8 में बढना अपेक्षित है।

- कि इसी प्रकार पार्टी संख्या 06 के खसरा संख्या 1654 / 6 का रकबा 1.5621 है0 के स्थान पर 2.0362 है0 व खसरा संख्या 1654 का रकबा 2.4281 है0 के स्थान पर रकबा 1.9540 है0 किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार खसरा संख्या 1654 का रकबा रिकॉर्ड में जितना कम होना अपेक्षित है। समानुपातिक रकबा खसरा संख्या 1654 / 6 में बढना अपेक्षित है। जिसमें दोनों खसरों को मिलाकर कुल रकबा अप्रभावित हो रहा है।

2. असल में पार्टी संख्या 01 ता 06 की आराजी पर पार्टी संख्या 01 ता 06 परिशिष्ट–बी के अनुसार काबिज काश्त हैं। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के विपरीत पार्टी संख्या 01 के खसरा संख्या 1654 / 8 का रकबा 1.1088 है0 के स्थान पर 1.5690 है0 व खसरा संख्या 1654 / 3 का रकबा 1.7806 है0 के स्थान पर 1.3204 है0 एवं पार्टी संख्या 06 के खसरा संख्या 1654 / 6 का रकबा 1.5621 है0 के स्थान पर 2.0362 है0 व खसरा संख्या 1654 का रकबा 2.4281 है0 के स्थान पर रकबा 1.9540 है0 की चकबंदी कर विनियमन किया जावे। साथ ही उक्त खसरान की विनियम कर चकबंदी मौके पर कब्जे के अनुसार संलग्न परिशिष्ट–बी के अनुसार की जावे। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी का विनियम कर चकबंदी परिशिष्ट–बी के आधार पर कर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की आराजी की विनियम कर चकबंदी मौके पर कब्जे के अनुसार संलग्न परिशिष्ट–बी के अनुसार कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की विनियम कर चकबंदी मौके पर कब्जे के अनुसार करवाने हेतु परिशिष्ट–बी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

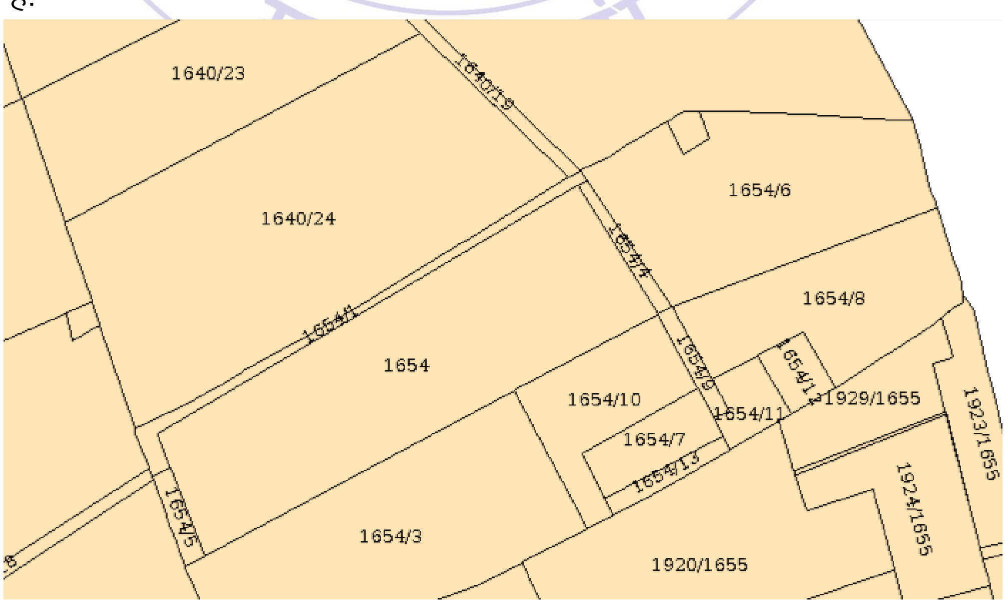

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.17 12:00:22 IST
Reason: SelfAttested

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड के परीक्षण के पश्चात व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित विनियम कर चकबंदी मौके पर कब्जे के अनुसार करने हेतु परिशिष्ट—बी प्रस्तुत किया है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पत्रांक / राजस्व / 2025 / 169 दिनांक 12.05.2025 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थीगण की आराजी का विनियम कर चकबंदी के परिशिष्ट—बी के अनुसार किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थीगण की आराजी का विनियम कर चकबंदी हेतु परिशिष्ट—बी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

परिशिष्ट "B"

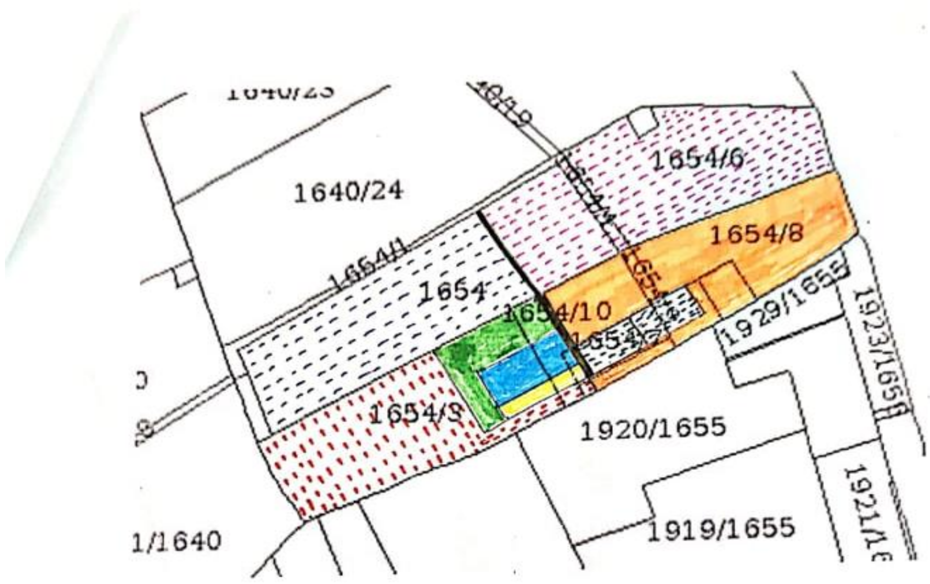

संकेत

क्र.सं.	ख.न.	वर्तमान रकबा	प्रस्तावित रकबा	रंग
1.	1654/8	1.1088 Hec.	1.5690 Hect.	
2.	1654/3	1.7806 Hec.	1.3204 Hect	
3.	1654/10	0.4856 Hec.	0.4856 Hec.	
4.	1654/7	0.2428 Hec.	0.2428 Hec.	
5.	1654/13	0.0809 Hec.	0.0809 Hec.	
6.	1654/11	0.1619 Hect.	0.1619 Hec.	
7.	1654/12	0.1619 Hect.	0.1619 Hect.	
8.	1654/9 1654/4	0.0324 Hec 0.0486	0.0324 0.0405 Hec.	
9.	1654/[illegible]	2.4281 Hectr.	1.9540 Hec.	
10.	1654/6 –	1.5621 हैक्ट०	2.0362 Hec.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.17 12:00:22 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / राजस्व / 2025 / 169 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:—

> कि आवेदन वर्णित आराजी मौजा राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी पटवार मण्डल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी पर मौके पर पार्टी संख्या 01 का खसरा संख्या 1654 / 8 रकबा 1.1088 है0 किस्म बारानी दोयम के स्थान पर रकबा 1.5690 है0, खसरा संख्या 1654 / 3 रकबा 1.7806 है0 किस्म बारानी दोयम के स्थान पर रकबा 1.3204 है0, पार्टी संख्या 02 का खसरा संख्या 1654 / 10 रकबा 0.4856 है0 किस्म बारानी दोयम, पार्टी संख्या 03 का खसरा संख्या 1654 / 7 रकबा 0.2428 है0 व खसरा संख्या 1654 / 13 रकबा 0.0809 है0 किस्म बारानी दोयम, पार्टी संख्या 04 का खसरा संख्या 1654 / 11 रकबा 0.1619 है0 किस्म बारानी दोयम एवं पार्टी संख्या 05 का खसरा संख्या 1654 / 12 रकबा 0.1619 है0, पार्टी संख्या 06 के खसरा संख्या 1654 / 6 रकबा 1.5621 है0 के स्थान पर 2.0362 है0 व खसरा संख्या 1654 का रकबा 2.4281 है0 के स्थान पर रकबा 1.9540 है0 भूमि है। प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट—बी के अनुसार प्रार्थी संख्या 01 ता 06 मौके पर काबिज हैं। वर्तमान भू—नक्शे में तरमीम मौके से भिन्न व रकबा गलत लिख दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट—बी के अनुसार भूमि का विनियम कर चकबंदी करने से प्रार्थीगण के अलावा कोई भी अन्य खातेदार प्रभावित नहीं हो रहा है तथा ना ही राजस्व की हानि हो रही है। इसलिये पार्टी संख्या 01 का खसरा संख्या 1654 / 8 रकबा 1.1088 है0 किस्म बारानी दोयम के स्थान पर रकबा 1.5690, खसरा संख्या 1654 / 3 रकबा 1.7806 है0 किस्म बारानी दोयम के स्थान पर रकबा 1.3204 है0, पार्टी संख्या 02 का खसरा संख्या 1654 / 10 रकबा 0.4856 है0 किस्म बारानी दोयम, पार्टी संख्या 03 का खसरा संख्या 1654 / 7 रकबा 0.2428 है0 व खसरा संख्या 1654 / 13 रकबा 0.0809 है0 किस्म बारानी दोयम, पार्टी संख्या 04 का खसरा संख्या 1654 / 11 रकबा 0.1619 है0 किस्म बारानी दोयम एवं पार्टी संख्या 05 का खसरा संख्या 1654 / 12 रकबा 0.1619 है0, पार्टी संख्या 06 के खसरा संख्या 1654 / 6 रकबा 1.5621 है0 के स्थान पर 2.0362 है0 व खसरा संख्या 1654 का रकबा 2.4281 है0 के स्थान पर रकबा 1.9540 है0 भूमि व समर्पित भूमि के खसरा संख्या 1654 / 4, 1654 / 9 की तरमीम व रकबा दुरूस्त करने से मौके, कब्जे व भू—नक्शे में एकरूपता आयेगी। प्रार्थीगण के खसरों की परिशिष्ट—बी के अनुसार भूमि का विनियम कर चकबंदी की जानी उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / राजस्व / 2025 / 169 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / राजस्व / 2025 / 169 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व उक्त रिपोर्ट में उल्लेखित परिशिष्ट—बी के अनुसार भूमि का विनियम कर चकबंदी करने से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.17 12:00:22 IST
Reason: SelfAttested

सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / राजस्व / 2025 / 169 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार भूमि का विनियम कर चकबंदी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–49 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/राजस्व/2025/169 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व संलग्न परिशिष्ट–बी के नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की आवेदन वर्णित भूमि का विनियम कर चकबंदी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 12.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.17 12:00:22 IST
Reason: SelfAttested